राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.13(1)साप्र/2/15 जयपुर, दिनांक 27 DEC 2022

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषयः– राजकीय आवास हेतु आवेदन एवं आवंटन की प्रकिया को ऑनलाइन करने बाबत्।

सदंर्भः– इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2021, 25.06.2021, 18.02.2022 एवं दिनांक 10.06.2022 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों के क्रम में निवेदन है कि कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन एवं राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस सबंध में राजकीय आवास आवंटन हेतु जिन अधिकारियो/कर्मचारियों ने 01.07.2021 से पूर्व सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग में ऑफलाईन आवेदन किया हुआ हैं, उन्हे पुनः ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 18.02.2021 द्वारा 1 माह, परिपत्र दिनांक 01.07.2021 द्वारा 1 माह व परिपत्र दिनांक 20.02.2022 द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक एवं परिपत्र दिनांक 10.06.2022 के द्वारा आगामी 03 माह का समय दिया गया था।

इसी क्रम में राजकीय आवास के इच्छुक पूर्व आवेदकों जिन्होने 01.07.2021 से पूर्व ऑफलाईन आवेदन किया हुआ है, को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने हेतु उक्त **परिपत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस का समय अन्तिम रूप से** प्रदान किया जाता है। इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी स्वयं की SSO ID के माध्यम से पूर्व वरीयता दर्ज करते हुए निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैः–

sso id → RajKaj → Employee corner → Accommodation → Reapply for accommodation → Form Filling → Submit

दिनांक 01.07.2021 से पूर्व के आवेदकों द्वारा उक्त 15 दिवस की अवधि में पुनः ऑनलाईन आवेदन नही करनें की स्थिति में आवेदक को आवास आवंटन का इच्छुक न मानते हुए उसकी वरीयता को समाप्त कर दिया जावेगा। इसके लिए अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कृपया सभी अधिकारियो व कर्मचारियों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करे। साथ ही नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करने का श्रम करावें।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, राज., जयपुर।
4. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को उक्त परिपत्र के प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित है।
5. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड।

शासन सचिव